

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 3] नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 1, 1979/पौष 11, 1900

No. 3] NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 1, 1979/PAUSA 11, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation.

इस्यात और खान मंत्रालय

(खान विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जनवरी, 1979

का. आ. 4(अ).—केंद्रीय सरकार, सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की
बंदखली) अधिनियम, 1971 (1971 का 40) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का
प्रयोग करते हुए, अधिसूचना सं. का. आ. 284(अ) तारीख 30 जून, 1975 में निम्न-
लिखित संशोधन करती है :—

उक्त अधिसूचना में, सारणी के स्तंभ (1) में, प्रविष्टि 'उप महाप्रबंधक (प्रशा-
भारत एल्यूमीनियम कम्पनी लिमिटेड, कोरबा (मध्य प्रदेश)' के स्थान पर प्रविष्टि,

‘भारत एल्युमीनियम कम्पनी लिमिटेड, की कोरबा परियोजना के टाउनशिप का भारसाधक अधिकारी, कोरबा (मध्य प्रदेश),’ रखी जाएगी ।

[फा. सं. 7(113)/78-मैट-1]

एस. वरदान, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF STEEL AND MINES

(Department of Mines)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st January, 1979

S.O. 4(E).—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1971 (40 of 1971), the Central Government hereby makes the following amendment to the Notification No. S.O. 284(E) dated the 30th June, 1975 :

In the said notification in column (1) of the Table, for the entry “Deputy General Manager (Admn.) Bharat Aluminium Company Ltd., Korba (Madhya Pradesh)” the entry, “The Officer in charge of the Township at Korba Project of Bharat Aluminium Company Ltd., Korba (Madhya Pradesh)” may be substituted.

[F. No. 7(113)/78-Met I]

S. VARADAN, Jt. Secy.